भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1608
दिनांक 13 फरवरी, 2025

पेट्रोलियम क्षेत्र में सुरक्षा उपाय

†1608. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा खतरनाक और ज्वलनशील प्रकृति के पेट्रोलियम उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें तेल उद्योग द्वारा उन्नत बिजली संरक्षण प्रणाली की स्थापना करना शामिल है ताकि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए विश्व भर में अपनाई जा रही प्रथाओं के अनुरूप आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): देश में तेल और गैस कंपनियों को सुरक्षा के प्रासंगिक सभी मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक तकनीकी तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), को सुरक्षा के स्तरों में बढ़ोत्तरी करने तथा इस उद्योग में निहित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उद्योग में संबंधित कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए सुरक्षा लेखापरीक्षा के माध्यम से मानकों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उद्योग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने तथा यथोचित सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन और खतरा संबंधी विश्लेषण करता है। तेल और गैस कंपनियों द्वारा पालन किए जाने वाले आवश्यक सुरक्षा उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उनकी इष्टतम कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए बिजली संरक्षण प्रणालियों का नियमित निरीक्षण, परीक्षण और रखरखाव भी शामिल हैं। ओआईएसडी, ओआईएसडी मानकों में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन को सत्यापित करते हुए तेल और गैस प्रतिष्ठानों की बाह्य सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा निर्धारित अंतराल पर आयोजित करता है।

***